

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

संख्या- 449/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24

दिनांक अगस्त 17, 2024

संशोधित आदेश

उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4)के खण्ड(ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बुढपुरा, तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मी)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बुढपुरा	1115	2.934	श्रेणी 5(3) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
					1119	4.434		
					1121	0.987		
					1119मि0	0.011		
					1122/2मि0	1.900		
					1122/3	0.282		
					1124/3मि0	0.210		
					1124/4मि0	0.031		
					1124/5	1.082		
					1124/8मि0	0.083		
					1124/10मि0	0.076		
					1124/20मि0	0.172		
					1124/26मि0	1.963		
					1124/29मि0	0.008		
					1124/32	0.538		
					1124/33	0.685		
					1124/34	1.240		
1124/37मि0	1.201							
1124/11	0.070							
1124/13	0.058							
1124/15	0.380							
1124/35	0.100							
1124/36	0.180							
23 किता	18.625 हे0							

(2)

जनपद झाँसी में गैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा0लि0 हैदराबाद, के ई-मेल पत्र दिनांक 17.08.2023 के कम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या- 2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो0पा0 प्रा0लि0/50 मे.वा/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16.07.2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम बुढपुरा तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 18.625 हे0 (46.023 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रू0 47.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व - 0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी, झाँसी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2-अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-5, लखनऊ।
- 4-आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल झाँसी।
- 5-निदेशक यूपी0 नेडा लखनऊ।
- 6-निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 7-मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
- 8-उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, झाँसी को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये, दो प्रतियां सम्वन्धित ग्रामों में चस्पा कराकर वृहद प्रचार-प्रसार कराये तथा दो प्रतियां रजिस्ट्रार कानूनगों को अमलदरामद करके नकल खतौनी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी, झाँसी